

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

Bid for Food Supply

(A) Bid Data Sheet (BDS)

बिड का पूर्ण विवरण		
1	कार्य का विवरण :	हाई-टी, लंच एवं टी/जलपान आपूर्ति कार्य
2	कार्यक्रम आयोजन स्थल	राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर (RIC), संस्थान पथ, जेएलएन मार्ग, जयपुर दिनांक 16.07.2025 एवं 17.07.2025 तथा कृष्णापुरी भवन, ओटीएस परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर दिनांक 22.07.2025 एवं 23.07.2025
3	कार्य की अनुमानित लागत	2,90,000 /—
4	बिड प्रपत्र शुल्क	200 /—
5	बिड प्रतिभूति राशि	6,000 /—
6	बिड जमा कराने की अंतिम तिथि :	14.07.2025 समय 2:00 P.M. तक
7	बिड खोलने की तिथि तथा समय :	14.07.2025 समय 3:00 P.M.

बिड दाता का पूर्ण विवरण		
1	बिडदाता/फर्म का नाम	
2	बिडदाता/फर्म का पूरा पता	
3	मोबाईल नम्बर	
4	टेलीफोन नम्बर	
5	ई-मेल	
6	बिड दाता/फर्म का PAN नम्बर	
7	जी.एस.टी. नंबर	
8	बिड दाता /फर्म का बैंक विवरण	खाता धारक का नाम : बैंक व शाखा का नाम : खाता संख्या : IFSC CODE:

(B) Instructions to Bidders (ITB)

बिड प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें एवं इसी के अनुरूप निविदा के लिए आवेदन करें। सशर्त एवं दोहरे बिड मान्य नहीं होंगे।

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

दिनांक

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि :-

1. हमने राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी की गई बिड सूचना संख्या : एफ17(13)6/रा.ज.आ.प्रा./स्टोर/निविदा/2022/ दिनांकतथा संलग्न शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है, पढ कर समझ लिया है, इनसे बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा बिड की समस्त शर्तों पर काम करने के लिए सहमत हैं।
2. हमारी फर्म का किसी प्रकार का Income Tax / GST / VAT / Service Tax आदि बकाया नहीं है।
3. हमारी फर्म को पूर्व में किसी भी राजकीय विभाग/संस्थान अथवा उपक्रम द्वारा Black listed नहीं किया गया है।
4. मेरे फर्म/प्रतिष्ठान के मालिक अथवा प्रतिनिधि द्वारा निविदित कार्य को करने के दृष्टिकोण से भलीभांति समझ लिया गया है।
5. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जयपुर को किसी भी बिड प्रपत्र/बिड को बिना कोई कारण बताये निरस्त/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

हाई-टी एवं अल्पाहार/जलपान आपूर्ति हेतु बिड की शर्त :-

1. बिडदाता द्वारा आयकर विभाग का पैन कार्ड एवं जी.एस.टी. पंजीयन संख्या की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है, जिसके अभाव में बिड निरस्त कर दी जायेगी।
2. बिडदाता के पास खाद्य सामग्री के बनाने का सक्षम प्राधिकारी का अनुज्ञापत्र होना चाहिये, जो बिड के साथ संलग्न करना होगा।
3. वेबसाईट से बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में बिड प्रपत्र शुल्क 200 रुपये का डीडी एवं प्रतिभूति राशि 6000 रुपये का डीडी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के नाम बिड के साथ जमा कराना आवश्यक है। इसके अभाव में बिड पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।
4. बिड दस्तावेज नियत दिनांक व समय तक उपापन समिति अध्यक्ष के कार्यालय के कमरा संख्या 317 में जमा करवाया जाना आवश्यक है।
5. प्राप्त बिड दस्तावेज नियत दिनांक व समय पर उपापन समिति द्वारा उपस्थित बिडदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
6. किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की राशि काटी जावेगी।
7. बिड प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बिडदाता बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बिड की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। शर्त रहित बिड ही स्वीकार होगी।
8. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं या अपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर सील (फर्म की) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।
9. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
10. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि सामग्री की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो बिडदाता को सुनवाई का एक व्यक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

11. भुगतान :-

- 1) सामग्री की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा बिल **प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर** के नाम से दो प्रतियों में प्रेषित करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बिडदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 2) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

12. बिड प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बिडदाता क्रेता अधिकारी से वर्क ऑर्डर के प्राप्त होने पर निर्देशानुसार व्यवस्था करेगा।
13. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
14. बिडदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
15. बिडदाता को दरें संलग्न दर प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है।
16. हाई-टी, लंच एवं टी/जलपान आपूर्ति, कार्यादेश में अंकित अवधि एवं समय पर ही आपूर्ति करना अनिवार्य है अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जायेगी।
17. बिडदाता द्वारा बिड प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी बिड पर विचार नहीं किया जावेगा। बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बिड की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
18. बिड में दी गई कुल दर के अलावा अन्य कोई प्रभार देय नहीं होगा।
19. कार्य आदेश सूची अनुसार सामग्री/कार्य उपलब्ध करवानी होगी।
20. परीक्षणों के मामले में बिड दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सामग्री/कार्य का निरीक्षण किया जायेगा।
21. ब्रेकफास्ट, लंच एवं हाई-टी/जलपान आपूर्ति समाप्ति पर बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
22. बिड केवल कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही मान्य होगी।
23. बिड स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, रा.ज.आ.प्रा. जयपुर के पास सुरक्षित होंगे और उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
24. बिड खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नेगोशियेशन किया जा सकता है।
25. निर्धारित स्थान व समय पर भोजन आदि उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
26. प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री उत्तम स्तर की होनी चाहिए। सामग्री ताजा स्वादिष्ट, गर्म एवं समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त होनी चाहिये।
27. भोजन सामग्री एवं भोजन बनाने की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं बिडदाता की होगी।
28. सामग्री निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराने का दायित्व बिडदाता का होगा। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर वांछित व्यवस्था/सामग्री एक घण्टे की अवधि में करनी होगी।
29. वास्तविक सामग्री आपूर्ति की संख्या उसी दिन आपूर्ति अवधि से दो घण्टे पूर्व दूरभाष से सूचित किया जायेगा तथा सामग्री आपूर्ति की संख्या व स्थान निम्नानुसार रहेगा :-

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम स्थल	अनुमानित प्रतिभागियों की संख्या
1	16.07.2025	राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर (RIC), संस्थान पथ, जेएलएन मार्ग, जयपुर	80
2	17.07.2025		80
3	22.07.2025	कृष्णापुरी भवन, ओटीएस परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर	90
4	23.07.2025		90

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

30. उपर्युक्त तालिका में वर्णित प्रतिभागियों की संख्या कमी/वृद्धि हो सकती है।
31. **परिनिर्धारित क्षति:** परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बिडदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-
1. विहित सुपुर्दगी अवधि को एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
 2. एक चौथाई से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
 3. आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
 4. विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
 5. विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा
 6. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
32. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं GF&AR के सभी आवश्यक प्रावधान इस बिड के भाग होंगे।
33. हाई-टी, लंच एवं टी/जलपान आपूर्ति कार्य से संबंधित जैसे क्रॉकरी, केटरिंग सर्विसेज, डाईनिंग काउंटर से संबंधित समस्त व्यवस्था स्वयं बिडदाता द्वारा ही करनी होगी।
34. मैने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

दिनांक

बिडदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता (सील सहित)

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

वित्तीय बिड प्रपत्र

हाई-टी, लंच एवं टी/जलपान आपूर्ति की दरें

कार्यक्रम आयोजन स्थल— राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर (RIC), संस्थान पथ, जेएलएन मार्ग, जयपुर दिनांक 16.07.25 एवं 17.07.25,
कृष्ण पुरी भवन, ओटीएस परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर दिनांक 22.07.2025 एवं 23.07.2025

फर्म का नाम मय

पता.....

मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी

क्र.स.	आइटम का नाम	प्रस्तुत कुल समेकित दर रुपये प्रति सदस्य (जी.एस.टी. सहित)
1	हाई-टी की व्यवस्था— प्रातः 11:00 बजे - समोसा/दाल कचौरी एवं वेज सेण्डविच - चाय/कॉफी - कूकीज - पानी की बोतल (500 एमएल) (एक) लंच व्यवस्था— दोपहर 01:30 बजे - सब्जी-पनीर लबाबदार/कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज - दाल तड़का - जीरा राईस/मटर पुलाव - बूंदी रायता/ वेज रायता - रोटी-मिस्सी, तंदूरी तथा चपाती (बटर में) - ग्रीन सलाद, पापड़ एवं अचार - गुलाब जामुन/रस मलाई - आईसक्रीम - पानी की बोतल (500 एमएल) (एक) टी/जलपान (प्लेट) व्यवस्था— सांय 04:00 बजे - चाय/कॉफी - कूकीज - पानी की बोतल (500 एमएल) (एक)	

दिनांक

बिडदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता (सील सहित)